न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 67/2017/225 आरटीए

1. शिशपाल पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी ग्राम बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. ख्यालीराम पुत्र लेखराम जाति जाट निवासी ग्राम बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. सन्दीप पुत्र मुखराम जाति जाट निवासी ग्राम बड़ोपल तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. उपपंजीयक पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 02.03.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर पीलीबंगा

प्रकरण संख्या 18/2010 अनवानी शिशपाल बनाम ख्यालीराम आदि

श्री चैन सिंह शेखावत अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांक –21.05.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद प्रस्तुत कर इसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया कि अपीलांट की पड़दादी एवं रेस्पो0 सं. 1 की माता मु0 जीवणी पत्नि लेखराम के धारण मे तहसील पीलीबंगा के चक 4 जेडब्ल्यू मे 9.272 है0 मय खाला भूमि थी। मु0 जीवणी की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुई। तत्पश्चात रेस्पो0 सं. 1 को 1/4 हिस्सा यानि 9.03 बीघा भूमि विरासतन प्राप्त हुई। रेस्पो0 सं. 1 ने उक्त भूमि की अर्जित आय से अपने नाम से तहसील पीलीबंगा के चक 16 जेडब्ल्यू के प.न. 64/370 मे 6.325 है0 एवं प.न. 64/371 मे 3.795 है0 भूमि भिन्न भिन्न समय पर अर्जित की थी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रेस्पो0 ने पूर्व मे उक्त समस्त 50 बीघा भूमि मे से 15.00 बीघा भूमि का बेचान कर दिया था। इसलिये आगामी बैचान को रोकने हेतु एवं पैतृक भूमि मे अपने जन्म से निहित हक व हिस्सा की घोषणा हेतु एवं स्थगन बाबत अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टस ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश का अवलोकन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि केवल मात्र एक पक्षकार को अनुचित लाभ पहुंचाने की दृष्टि से पारित किया हुआ आदेश है तथा अपीलांट के हितो का अंतिम निर्णय वादपत्र के माध्यम से हुआ ही नही है। अपीलांट के द्वारा वादपत्र प्रस्तुत किऐ जाने की दिनांक को वादाधीन भूमि की जो स्थिति है उसे कायम रखना न्यायालय का कानूनी दायित्व हो जाता है परन्तु विचारण न्यायालय ने इस अहम बिन्दू पर भी कतई ध्यान नही दिया है। जबकि अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष वादाधीन भूमि पैतृक होना दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित कर दिया था। अपीलांट ने अपने वादपत्र मे एवं प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट अंकित कर दिया था कि रेस्पो0 सं. 1 पूर्व मे पैतृक भूमि का बैचान कर चुका है तथा शेष भूमि को भी खुर्द बुर्द करने मे तुला हुआ है। यदि वह अपने इस गलत उदेश्य मे कामयाब हो जाता है तो अपीलांट के द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जैरकार वादपत्र का उदेश्य ही विफल हो जावेगा। इसलिये यह अपीलाधीन आदेश सही तथ्यो के विपरीत पारित हुआ होने के कारण खारिज योग्य है। धारा 212 आरटीए के अन्तर्गत किसी भी पक्षकार के अधिकारो का निर्धारण एवं निस्तारण नही होता है। धारा 212 आरटीए का उदेश्य वादाधीन भूमि की रक्षा करना होता है, ताकि वादाधीन भूमि के संबंध मे वादपत्र के अंतिम निर्णय से पूर्व अनावश्यक विवाद नही बढ़े। परन्तु विचारण न्यायालय ने इस अहम बिन्दू पर भी कतई विचार नही किया है। इसलिये अपीलाधीन आदेश स्पष्ट रूप से न्यायिक सिद्धांतो के विपरीत पारित हुआ है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1 ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि मु0 जीवणी के फौत होने पर उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम पूर्व 55 की गैर खातेदारी दर्ज हुई जिसके खातेदारी अधिकार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जरिये सनद दिनांक 11.12.97 को प्राप्त हुए जिसमे अप्रार्थी/रेस्पो0 सं. 1 को 1/4 हिस्सा के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। इस भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद यह भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 10.04.2001 को बृजमोहन को बैय कर दी थी। विक्रय के समय प्राप्त प्रतिफल उसी दिन अपीलांट के पिता मुखराम व मोहनलाल पुत्र लेखराम ने प्राप्त किया है। ये दोनो अप्रार्थी के पुत्र है। रेस्पो0 के धारण मे 30 बीघा भूमि है जो रेस्पो0 की स्वअर्जित आवंटित एवं खरीदशुदा भूमि है जिसमे अपीलांट व अपीलांट के पिता व भाईयो का रेस्पो0 सं. 1 के जीवनकाल मे कोई हक व हिस्सा नही है। समस्त भूमि रेस्पो0 सं. 1 के कब्जा काश्त मे है तथा रेस्पो0 सं. 1 उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज होने के कारण अपील खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. 4 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभयपक्ष विद्वान वकुलाये की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि जो कि अपीलांट के दादा ख्यालीराम के नाम दर्ज है, मे पैतृक की अर्जित आय खरीद होने का कथन करते हुए पैतृक भूमि मे जन्म हक हिस्सा होना जाहिर किया है तथा उक्त भूमि मे हको के निर्धारण होने तक स्थगन आदेश का अनुतोष चाहा गया जिसमे अधीनस्थ न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि जो कि अपीलांट के दादा ख्यालीराम के नाम दर्ज है, मे पैतृक की अर्जित आय खरीद होने का कथन करते हुए पैतृक भूमि मे जन्म हक हिस्सा होना जाहिर किया है जबकि रेस्पो0 द्वारा जाहिर किया गया कि मु0 जीवणी के फौत होने पर उक्त भूमि उनके वारिसान के नाम पूर्व 55 की गैर खातेदारी दर्ज हुई जिसके खातेदारी अधिकार जरिये सनद दिनांक 11.12.97 को प्राप्त हुए जिसमे अप्रार्थी/रेस्पो0 सं. 1 को 1/4 हिस्सा के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। इस भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद यह भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 10.04.2001 को बृजमोहन को बैय कर दी थी। विक्रय के समय प्राप्त प्रतिफल उसी दिन अपीलांट के पिता मुखराम व मोहनलाल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पुत्र लेखराम ने प्राप्त किया है। ये दोनो अप्रार्थी के पुत्र है। रेस्पो0 के धारण मे 30 बीघा भूमि है जो रेस्पो0 की स्वअर्जित आवंटित एवं खरीदशुदा भूमि है जिसमे अपीलांट व अपीलांट के पिता व भाईयो का रेस्पो0 सं. 1 के जीवनकाल मे कोई हक व हिस्सा नही है। इस प्रकार यह साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि ख्यालीराम की खरीदशुदा स्वअर्जित भूमि है, अपीलांट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिसमे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि हो या पैतृक भूमि का बैचान कर खरीदी गई हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज योगय है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.03.2017 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official